राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3984/2025

तेज प्रकाश लासोड़

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.08.2025
सुनवाई की दिनांक : 09.09.2025
आदेश की दिनांक : 09.09.2025
अपीलार्थी की ओर से : श्री कुलदीप असवाल, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने श्री ऋषभ कुमार जैन और श्री गोपाल लाल धोबी को दी गई वरिष्ठता का लाभ प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थी विभाग को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि विभाग, उदयपुर के आदेश दिनांक 14.10.1988 द्वारा तदर्थ आधार पर एल.डी.सी. के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी ने दिनांक 17.10.1988 को जिला कार्यालय, उदयपुर में एल.डी.सी. के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। (अनुलग्नक–2 व 3) अपीलार्थी ने आरपीएससी द्वारा आयोजित अवर श्रेणी लिपिक (संयुक्त) प्रतियोगी परीक्षा, 1986 उत्तीर्ण की है और अंकतालिका 5.1.1990 को जारी की गई थी तथा उसे प्रक्रियानुसार 14.5.1990 को प्रतिवादी को प्रस्तुत किया गया था। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पर्यवेक्षक के पद से 30 जून, 2022 को सेवानिवृत्त हो गया। (अनुलग्नक–5) माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निदेशालय के आदेश संख्या 256 दिनांक 14.10.1988 द्वारा अपीलार्थी के साथ नियुक्त 49 तदर्थ कर्मचारियों में से 31 एलडीसी को प्रथम नियुक्ति की तिथि से उनके नियमितीकरण की तिथि तक वरिष्ठता, चयनित वेतनमानध्एसीपी, 5वें, 6वें, 7वें वेतन आयोग एवं अन्य सेवा लाभ प्रदान किए गए। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कार्मिक–ए–ग्रुप) (1) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.3(56) कार्मिक/ए–2/84/जयपुर द्वारा संशोधित राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय, लिपिकीय कर्मचारी नियम के नियम 25 के उपनियम 10 एवं नियम 27 (xvi) के

अनुसार कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त व्यक्ति, उन व्यक्तियों से कनिष्ठ माने जाएंगे, जिन्होंने आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। श्री ऋषभ कुमार जैन ने आरपीएससी द्वारा आयोजित वर्ष 1986 की एलडीसी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। परन्तु अपीलार्थी ने आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की है, अतः वह अधिक सक्षम व्यक्ति है। परन्तु अपीलार्थी को प्रतिवादी विभाग द्वारा 1990 से वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया गया अपितु श्री ऋषभ कुमार जैन एवं श्री गोपाल लाल धोबी को वर्ष 1990 से वरिष्ठता का लाभ दिया गया है। दिनांक 27.6.2013 और 20.10.2016 के अवलोकन से, अपीलार्थी को वरिष्ठता में श्री ऋषभ कुमार जैन और श्री गोपाल लाल धोबी सक्षम से नीचे रखा गया है। अपीलार्थी की वरिष्ठता दिनांक 11.01.1990 से लेकिन लाभ 13.11.1992 से दिया गया था। अपीलार्थी ने अपने वकील के माध्यम से दिनांक 5.7.2024 को श्री ऋषभ कुमार जैन और श्री गोपाल लाल धोबी को वर्ष 1990 से दी गई वरिष्ठता का लाभ प्रदान करने हेतु विधिक नोटिस न्याय विभाग को भेजा। (अनुलग्नक–9) अपीलार्थी ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14626/2024, जिसका शीर्षक तेज प्रकाश लासोड बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर की, इसे दिनांक 30.6.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को वर्ष 1990 से वरिष्ठता प्रदान की जावे, जैसा कि पूर्व में इसी प्रकार की स्थिति वाले व्यक्ति श्री गोपाल लाल धोबी को दिया गया है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में

गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष